डा० सतीश द्विवेदी
मा० मंत्री, बेसिक शिक्षा,
उ०प्र० सरकार

मीना मंच

योगी आदित्यनाथ
मा० मुख्यमंत्री,
उ०प्र०

हमारे संवैधानिक अधिकार

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

प्रिय माता पिता/भाई-बंधु/मित्रों,

हम मीना मंच के बच्चे आपका ध्यान कुछ बहुत जरुरी बातों की तरफ आकर्षित करना चाहते है। प्रायः लोग यह सोचते है कि छोटे बच्चे कुछ बोल नही सकते, वह जरा-जरा सी बातो मे डर जाते है, उनकी अपनी कोई इच्छा नही, उनको अनुभव नही आदि..... और यही कारण है कि बच्चों के साथ कई बार बुरा सलूक किया जाता है।

हमें शिक्षा पाने की उम्र में हाथ मे किताब की जगह चौका बरतन, कुदाल, हथौड़ा, ईट पाथना, ढाबों में काम, भीख का कटोरा वगैरह पकड़ा कर हमारा भविष्य तय कर दिया जाता है। हमारे ऊपर बार बार लगायी जाने वाली पाबंदियां यह बताती है कि हम असुरक्षित है।

कभी कभी अखबार मे बच्चों के साथ होने वाली दरिंदगी की खबरे पढ़कर हमारी रुह कांप जाती है। जब बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या हिंसा होती है तो आप लोग खामोश क्यो हो जाते है ?

क्या आप जानते है कि हमारी शिक्षा खुशहाल जीवन व बेहतर भविष्य के लिये भारत के संविधान ने अधिकार प्रदान किया है। इसके अलावा बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के शोषण व भेदभाव को रोकने के लिये कई प्रकार के कानून बनाये गये है।

आइये हम बच्चों को उनका अधिकार दिलाने मे मदद करे। इसे पढ़े औरों को बताये और सभी बच्चों को शिक्षा व सम्मान दें।

- आपकी प्यारी मीना

आइये जाने क्या है हमारे मौलिक अधिकार -

1. **समानता का अधिकार–** भारत का प्रत्येक नागरिक कानून की नजर में समान है। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग, (लड़का–लड़की) के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नही किया जायेगा। सभी को नौकरियों में समान अवसर प्रदान किये गये है किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जायेगा।
2. **स्वतन्त्रता का अधिकार–** भारत में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी गाँव, शहर, राज्य का निवासी हो, उसे अपनी बात कहने व भाषण देने की स्वतन्त्रता है। इसी के साथ वह शान्तिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है। किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकता है व पूरे देश में बिना किसी रोक–टोक के घूम सकता है या रह सकता है। इस मूल अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण बात है जीवन जीने की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार जीवन जीने का अधिकार है।
3. **शोषण के विरूद्ध अधिकार–** इस अधिकार की प्रमुख बात यह है कि किसी भी किशोर/किशोरी को जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है उसे किसी भी कारखाने या जोखिम भरे कार्यो को करवाना कानूनी अपराध है। इसके अतिरिक्त इन किशोर/किशोरियों के प्रति किसी भी प्रकार की जाति, धर्म, वंश, वर्ण या सामाजिक स्तर के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
4. **धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार–** इस मौलिक अधिकार के अन्तर्गत भारत का प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है।
5. **संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार–** भारत में प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, एंव संस्कृति को सुरक्षित रखने का मूल अधिकार है। शिक्षण संस्थान किसी भी व्यक्ति को उसके मूलवंश, जाति, धर्म, और भाषा के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने से नही रोक सकते है।
6. **संवैधानिक उपचारों का अधिकार–** अगर व्यक्ति को उसके मूल अधिकार नही मिल रहे हैं, तो वह न्यायालय की शरण में जाकर अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है।

आओ जाने– किसी भी किशोर/किशोरी को जिसकी आयु 10 से 19 वर्ष के बीच है, उसे प्राण एंव दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मिला है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी किशोर/किशोरी को उसके जीवन जीने व व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र रहने के अधिकार से वंचित (अलग) नही किया जा सकता है। इसी अधिकार में अनुच्छेद 21 (क) जोड़ा गया है जिसके अनुसार सम्पूर्ण भारत में सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार (2009) प्राप्त है।

बच्चों के अधिकार-

वे अधिकार जो 18 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक किशोर/किशोरी को प्रदान किए गए है उन्हें हम बाल अधिकारों की श्रेणी में लाते है। दूसरे शब्दों में बच्चों के मनुष्य होने के नाते जितने भी अधिकार है, उन्हें हम बाल अधिकार कहते है।

बाल अधिकारों को चार भागों में बाँटा जा सकता है-

1. जीवन जीने का अधिकार- प्रत्येक किशोर/किशोरी का पहला हक है, वह एक अच्छा एंव सुरक्षित जीवन जिए। लड़का हो या लड़की सभी को अच्छा खाना खाने का बराबर का अधिकार है।

2. संरक्षण का अधिकार- प्रत्येक किशोर/किशोरी को शोषण से संरक्षण का अधिकार है। बच्चों की देखभाल उनके माता पिता का दायित्व है, जिसे उन्हें निभाना चाहिए।

''व्यापार या बाल विवाह'' नहीं करे बचपन तबाह''

3. सहभागिता का अधिकार- बच्चों को सुनें उन्हे अभिव्यक्ति के पूरे मौके प्रदान करें। उनसे जुड़े मुद्दों पर उनसे बात करें।

4. विकास का अधिकार- प्रत्येक किशोर/किशोरी को गुणवत्तापरक शिक्षा पाने एंव सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास का पूर्ण अधिकार है। प्रत्येक बच्चे को भयमुक्त वातावरण पाने का पूर्ण अधिकार है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम–

- ❖ इस कानून के अनुसार यदि 21 वर्ष से कम आयु का कोई पुरूष 18 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की से विवाह करता है तो यह 15 दिनों की साधारण कैद तथा 1000 रू0 के अर्थदण्ड का भागी बनता है।
- ❖ यदि कोई 21 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करता है तो वह तीन महीने की साधारण कैद तथा अर्थदण्ड का भागी होगा।
- ❖ वैसे माता–पिता जो अपने बच्चों का बाल विवाह कराते है, उन्हें भी 3 महीने की कैद तथा अर्थ दण्ड भी दिया जा सकता है।
- ❖ कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह को निर्देशित अथवा उसे सम्पन्न कराता है, वह भी 3 महीने की कैद तथा अर्थदण्ड का भागी होता है।

शिकायत किससे करें/कहां करें?

बाल विवाह होने की सूचना पर तत्काल निकट के पुलिस थाने में जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज करायें। अपराध के संज्ञेय होने के कारण पुलिस द्वारा बिना किसी मजिस्ट्रेट की अनुमति की प्रतीक्षा किये, तत्काल कार्यवाही की जाएगी।

दहेज के विरूद्ध कानून

- दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने–देने या इसके लेन–देन में 05 वर्ष की कैद और 15000 रू0 के जुर्माने का प्रावधान है।
- दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498–ए जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा सम्पत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है के अर्न्तगत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है।
- धारा 406 के अर्न्तगत लड़की के पति या उसके ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनो यदि वे लड़की के स्त्री धन को उसे सौपने से मना करते हैं।
- यदि किसी लड़की की विवाह के सात साल के भीतर असामान्य परिस्थितियो में मौत होती है और यह साबित किया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–बी के अर्न्तगत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।

एफ0आई0आर0 (प्रथम सूचना रिपोर्ट) कैसे लिखाएं-

यदि कोई भी पीड़ित महिला थाने में जाकर किसी भी अत्याचार अथवा हिंसा की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती है तो वह अपने निम्न अधिकारो का प्रयोग कर सकती है:–

- रिपोर्ट दर्ज करवाते समय अपने किसी मित्र या रिश्तेदार को अपने साथ ले जाएं।
- एफ0आई0आर0 को स्वयं पढ़ें या किसी और से पढ़वाने के बाद ही उस पर हस्ताक्षर करें।
- आपको एफ0आई0आर0 की एक प्रति मुफ्त दी जाए।
- पुलिस द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज न किये जाने पर आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अथवा स्थानीय मजिस्ट्रेट से मदद मांगें।

महिला की गिरफ्तारी लेते समय :

अगर कोई महिला पुलिस की नजरो में गुनहगार है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है तो वह इन अधिकारों का उपयोग कर सकती है:–

- गिरफ्तारी का कारण बताया जाए।
- गिरफ्तारी के समय हथकड़ी न लगाई जाए। हथकड़ी सिर्फ मजिस्ट्रेट के ही आदेश पर लगाई जा सकती है।
- महिला अपने वकील को बुलवा सकती हैं। मुफ्त कानूनी सलाह की मांग कर सकती हैं।

गिरफ्तारी के 24 घण्टे के अन्दर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। गिरफ्तारी के समय उसके किसी रिश्तेदार या मित्र को उसके साथ थाने जाने दिया जाए। अगर पुलिस उसे गिरतार करके थाने ले आती है तो निम्न अधिकार प्राप्त है–

- गिरफ्तारी के बाद महिलाओं को कमरे में मानवीयता के साथ रखा जाए। जोर–जबरदस्ती करना गैरकानूनी है।

- ❖ पुलिस द्वारा मारे–पीटे जाने या दुर्व्यवहार किये जाने पर मजिस्ट्रेट से डाक्टरी जांच की मांग करें।
- ❖ डाक्टरी जांच केवल महिला डाक्टर ही कर सकती हैं।
- ❖ पूछताछ के लिए उसे थाने में या कहीं और बुलाये जाने पर वह इंकार कर सकती हैं।
- ❖ पूछताछ केवल घर पर तथा परिवार के सदस्यों की उपस्थिति में ही की जाए।उसकी शरीर की तलाशी केवल दूसरी महिला द्वारा ही शालीन तरीके से ली जाए। अपनी तलाशी से पहले वह महिला पुलिस कर्मी की तलाशी ले सकती हैं।

घरेलू हिंसा संरक्षण विधेयक

घरेलू हिंसा संरक्षण विधेयक कानून को एक वर्ष पहले 12 सितम्बर, 2005 को संसद ने पारित कर दिया था। इस कानून में जोर इस बात पर है, कि महिला को उसके घर में होने वाली हिंसा से मुक्ति मिले। यह कानून महिला को घर में रहने का हक भी देता है।

घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के सुरक्षा संबंधी अधिकार

- यदि परिवार में किसी व्यक्ति द्वारा पिटाई की जाती है, धमकी दी जाती है या हतोत्साहित किया जाता है इसका मतलब महिला घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। घरेलू हिंसा कानून 2005 के तहत घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
- यह कानून महिला को उन लोगो से सुरक्षा देता है जिनके साथ वह एक ही घर में रहती थीं उनके द्वारा निम्नांकित में से कोई भी हिंसात्मक व्यवहार किया गया है।

क्या है घरेलू हिंसा

1. शारीरिक हिंसा–

उदाहरण के लिए मार–पीट, थप्पड़ मारना, धक्का मारना, काटना, मारना घूसा मारना, किसी भी तरह से शरीर में दर्द या चोट पहुँचाना।

2. यौन हिंसा–

- जबरदस्ती यौन संबंध बनाना
- अश्लील चित्र या फिल्म देखने के लिए बाध्य करना।
- यौन संबंधी गाली–गलौच कर अपमानित करना या ऐसा यौन संबंधी व्यवहार करना जो कि आपके आत्मसम्मान को क्षति पहुँचाये।
- बच्चे के साथ यौन संबंधी दुर्व्यवहार करना।

3. मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा

- अपमान करना।
- चरित्रहीनता का आरोप लगाना।
- लड़के को जन्म न देने के कारण अपमानित करना।
- दहेज न लाने के कारण अपमानित करना।
- महिला या उसके साथ रह रहे बच्चे को शिक्षा से वंचित करना।
- रोजगार लेने से रोकना या रोजगार छोड़ने के लिए बाध्य करना।
- महिला या उसके संरक्षण में रह रहे बच्चे को घर छोड़ने से रोकना।
- साधारण अवसरों पर भी आपको दूसरों से मिलने से रोकना।
- इच्छा के विरूद्ध शादी करने के लिए बाध्य करना।
- इच्छित व्यक्ति से विवाह करने से रोकना।
- किसी खास व्यक्ति से शादी करने के लिए बाध्य करना जिसे वे पसन्द करते हैं।

- ❖ आत्महत्या करने की धमकी देना।
- ❖ अन्य कोई भी मौखिक एवं भावनात्मक उत्पीड़न।

4. आर्थिक हिंसा

- ❖ महिला या उसके बच्चों के भरण पोषण के लिए धन न देना।
- ❖ महिला या उसके बच्चों को खाना कपड़े एवं दवायें आदि उपलब्ध न कराना।
- ❖ रोजगार को बनाये रखने से रोकना या उसमें बाधा पहुँचाना या रोजगार न करने देना।
- ❖ बिना सहमति के आपकी तनख्वाह या मजदूरी के पैसे निकाल लेना।
- ❖ महिला को अपनी मर्जी से तनख्वाह या मजदूरी के पैसे इस्तेमाल न करने देना।
- ❖ जिस मकान में महिला रह रही हैं उससे जबरदस्ती बाहर निकाल देना।
- ❖ घर के रोजमर्रा के सामान, कपड़े आदि इस्तेमाल करने की अनुमति न देना।
- ❖ यदि महिला किराये के मकान में रहती हैं तो उस मकान के किराये का भुगतान न करना।

राहत के तरीके

- ❖ महिला स्वयं, उसका रिश्तेदार या अन्य कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने प्रार्थना पत्र लगा सकते हैं। इस प्रार्थनापत्र में उन्हें बताना होगा कि क्या मदद चाहिए। जैसे –गुजारा भत्ता, घर में रहने का अधिकार, मार पिटाई से मुक्ति आदि।
- ❖ पीड़िता पीड़ा पहुँचाने वाले की बात सुनकर मजिस्ट्रेट को लगे कि हिंसा हुई है व आगे भी हो सकती है तो वे हिंसा से बचाव का आदेश निकाल सकते हैं। हिंसा करने वाले को रोकने की व्यवस्था दे सकते हैं।

क्या अधिकार देता है यह कानून

सुरक्षा

- ❖ महिला उसी घर में रह सकेगी जहॉ वह पहले से रहती है। हिंसा करने वाले व्यक्ति को उस घर में न घुसने का आदेश भी दिया जा सकता है।
- ❖ यदि घर में जगह नही है तो किराये का घर दिलवाने और उसका किराया भरने की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की होगी।
- ❖ सम्बन्धित इलाके के पुलिस थाने को यह निर्देश दिये जायेंगे कि वह महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करे।
- ❖ हिंसा करने वाले से बाण्ड भी भरवाया जाएगा ताकि वह घर या बाहर कहीं भी हिंसा न कर सके।

आर्थिक राहत

- ❖ मजिस्ट्रेट पति को यह निर्देशित कर सकते है कि महिला को जो भी आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें।

- ❖ गुजारा भत्ता इतना मिले कि महिला व बच्चे सम्मान के साथ जी सकें।
- ❖ गुजारा भत्ता हर महीने अथवा एक मुश्त भी हो सकता है।
- ❖ संरक्षण के प्रार्थनापत्र पर सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट बच्चों को कस्टडी आदेश भी दे सकते हैं। बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी महिला को सौंपी जा सकती है।

संरक्षण अधिकारी

इस कानून के संरक्षण अधिकारी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह अधिकारी महिला की मदद करेंगे, उसे बतायेंगे कि संरक्षण के लिए कहॉ शिकायत की जानी है। राज्य सरकारें जल्दी हर जिले में संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेंगी। संरक्षण अधिकारी के पास महिला मदद करने व सेवा देने की सारी जानकारियां होनी चाहिए।

जिम्मेदारी

संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के पालन नही करवाये तो उसको एक साल तक की सजा व 20 हजार रू0 तक का जुर्माना या दोनो ही हो सकते हैं। महिला संगठनो की मांग है कि संरक्षण अधिकारी महिला होनी चाहिए।

ये भी नियम हैं

- ❖ महिला के बयानो से केस का फैसला होगा। इस अपराध के लिए अदालत ही जमानत देने की अधिकारी है, पुलिस नहीं। जहॉ भी महिला रहती है उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की जा सकती है।
- ❖ कोर्ट जो आदेश देगा उसकी कॉपी की कोई फीस नही लगेगी। यह कॉपी पुलिस व सेवा देने वाली संस्थाओं को भी मुफ्त दी जाएगी।
- ❖ अगर पहली नजर में मजिस्ट्रेट को यह लगे कि महिला के साथ घरेलू हिंसा हुई है तो अंतरिम व एकतरफा आदेश भी दे सकते हैं।
- ❖ अगर महिला का कोई नुकसान हुआ है या उसे चोट आयी है तो मुआवजे का आदेश भी दिया जा सकता है।
- ❖ मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ एक महीने के अन्दर सत्र न्यायालय में अपील हो सकेगी।

आवश्यकता पड़ने पर निम्नलिखित हेल्प लाइन्स व्यक्तियों व संस्था की मदद लें –

1098	– बाल सुरक्षा हेल्पलाइन
1090	– महिला हेल्पलाइन
100	– पुलिस कन्ट्रोल रूम
108	– एम्बुलेन्स
181	– महिला हेल्पलाइन

शिक्षा का अधिकार अधिनियम –2009

(नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम –2009)

सम्पूर्ण भारत वर्ष में 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ। जिसकी मुख्य विशेषताऐं इस प्रकार है–

- 06 से14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है।
- किसी भी बच्चे से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- किसी भी बच्चे को शारीरिक,मानसिक,आर्थिक आदि किसी भी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जाएगा।
- किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना (कक्षा–1 से 8) स्कूल से निकाला नहीं जाएगा।
- आयु के अनुसार सीखने को सुनिश्चित किया जाएगा।

किशोर न्याय- (बच्चों की देखभाल एंव संरक्षण) अधिनियम 2015

भारतीय कानून के अनुसार 18 वर्ष की आयु तक के किशोर/किशोरियों द्वारा किया गया ऐसा कृत्य जो समाज या कानून की नजर में अपराध है, तो ऐसे अपराधियों को बाल अपराधी की श्रेणी में रखा जाता है। किशोरावस्था में व्यक्तित्व के निर्माण तथा व्यवहार के निर्धारण में वातावरण का बहुत हाथ होता है हमारा कानून भी यह स्वीकार करता है कि किशोरों द्वारा

किये गये अनुचित व्यवहार के लिए किशोर/किशोरियाँ स्वयं जिम्मेदार नही होते बल्कि उनकी परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती है, इसी वजह से भारत समेत अनेक देशों में किशोर/किशोरियों के लिए अलग कानून और न्यायालय तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था है। इन बाल न्यायालयों के न्यायाधीश बाल मनोविज्ञान के अच्छे जानकार होते है। किशोर/किशोरियों को दण्ड नही बल्कि उनके केस हिस्ट्री को जानने और वातावरण का अध्ययन करने के बाद उन्हें सुधार गृह में रखा जाता है। जँहा इन किशोर/किशोरियों की दूषित हो चुकी मानसिकता को सुधारने का प्रयत्न किए जाने के साथ–साथ उनके अन्दर उपज रही नकारात्मक भावनाओं को भी समाप्त करने की कोशिश की जाती है। ऐसे बच्चों के साथ घृणित बर्ताव न अपनाकर उनके प्रति सहानुभूति, एंव प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाता है।

बाल अपराधों को हम पारिवारिक और सामाजिक दो भागों में बाँट सकते है

1. पारिवारिक बाल अपराध– 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे किशोर/किशोरी जो कोई ऐसा कार्य करते है, जिसका दुष्परिणाम उनके परिवार को उठाना पड़ता है। जैसे–

- ❖ माता पिता की अनुमति के बिना घर से भाग जाना।
- ❖ अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करना।
- ❖ स्कूल से भाग जाना।
- ❖ ऐसी आदतों को अपनाना, जो न तो स्वयं बच्चों के लिए हितकर है और न ही परिवार के लिये। अर्थात् परिवार के नियन्त्रण में न रहना।

2. सामाजिक बाल अपराध–

परिवार शायद बच्चों के भद्दे और गलत आचरण को एक बार सहन कर सकता है, लेकिन समाज की नजर में घृणित आचरण को यदि बच्चा अपनाता है तो निःसन्देह ऐसे कार्यो को अनदेखा नही किया जा सकता, बल्कि ऐसे अपराधों को किशोर अपराध या बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है जैसे–

- ❖ चोरी करना।
- ❖ लड़ाई–झगड़ा करना।
- ❖ यौन अपराध करना।
- ❖ जुआ खेलना, शराब पीना।
- ❖ अपराधी गुट या समूह में शामिल होना।
- ❖ दुकान से कोई सामाना उठाना।
- ❖ किसी के प्रति भद्दी और अभद्र भाषा का प्रयोग करना।

इस प्रकार के अपराध में लिप्त बच्चों के अपराध को छुपायें नहीं बल्कि उनके सुधार के लिये सहयोग करें।

पाक्सो कानून-

पाक्सो का पूर्णकालिक मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल एब्यूज यानि लैगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण। यह कानून 2012 में बनाया गया। इस कानून के अंतर्गत नाबालिग बच्चों के साथ होनें वाले यौन अपराधों व शोषण के मामलों में कार्यवाही की जाती है। इस कानून के अंतर्गत अलग अलग अपराधों के लिये अलग अलग सजा तय की गयी है जिसका कड़ाई से पालन किया जाना भी सुनिश्चित किया गया है। यह कानून लड़के और लड़की को समान रुप से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कानून के तहत पंजीकृत मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है।

इस कानून के अंतर्गत यदि किसी बालक या बालिका के साथ किये गये निम्नवत् कृत्य गंभीर अपराध है–

- ❖ लैंगिक हमला या यौन उत्पीड़न,
- ❖ घूरना, पीछा करना
- ❖ अश्लील शब्द बोलना
- ❖ प्रलोभन या लालच देकर फुसलाना
- ❖ अशोभनीय व अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन
- ❖ अपराध करनें के लिये दूसरों को उकसाना
- ❖ बदनाम करनें के लिये झूठी सूचना देना

उपर्युक्त में से किसी भी प्रकार का कृत्य अगर हमारे साथ या आस पास हो रहा हो तो चुप मत रहो आवाज उठाओ। यह भी जानना जरुरी है कि यदि किसी बच्चे के साथ उपर्युक्त मे से किसी प्रकार की घटना घटती है तो उस बच्चे की पूरी सहायता की जाती है। बच्चे के बारे में मीडिया द्वारा किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं किया जाता है।

यदि हम खामोश रहेंगे तो अपराधियों के हौसले बढ़ते जायेगे। साथ ही यह हमेशा याद रखना कि जिसके साथ अपराध होता है वह दोषी नहीं होता है बल्कि जो अपराध करता है वह दोषी होता है। शर्मिंदा उन्हे होना चाहिये जो गलत काम करते है न कि उन्हें जिनके साथ गलत काम होता है।

महिला कल्याण विभाग की '181' महिला हेल्प लाइन पर एक ही कॉल करने पर महिला/बालिकाओं संबंधी सभी सुविधायें प्रदान की जाती है। जैसे–

- ❖ शेल्टर होम में रहने की मद्द
- ❖ महिला पुलिसकर्मी द्वारा सहयोग,
- ❖ चाइल्ड लाइन,
- ❖ काउन्सलिंग– महिलओं को मनोवैज्ञानिक सलाह मिलेगी,
- ❖ मेडिकल सुविधा प्रदान की जाती है,
- ❖ एफ0आई0आर0 रूम व लीगल हेल्प आदि की भी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है

1090 वीमेन पावरलाइन व प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओं को सख्ती से रोकने के निमित्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वूमेन पावर लाइन 1090 की स्थापना की गयी व दिनॉक 15.11.2012 से यह सेवा निरन्तर कार्य कर रही है। व महिला सशक्तीकरण की दिशा में वूमेन पावर लाइन 1090 ने अपनी एक अलग पहचान बनायी है।

मेरा अनुभव

मेरा अनुभव

मेरा अनुभव

मेरा अनुभव

मेरा अनुभव

मेरा अनुभव

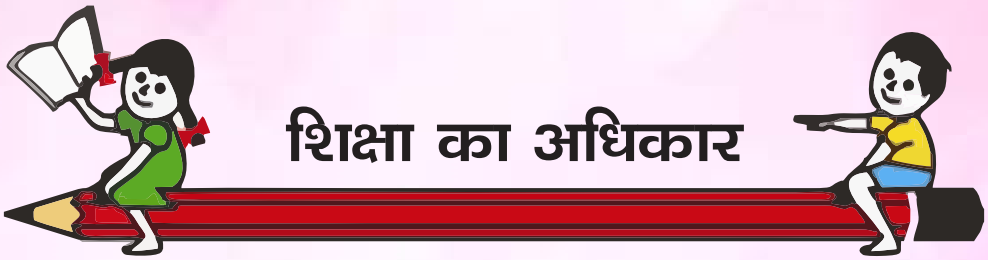

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

समग्र शिक्षा अभियान

विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ
उत्तर प्रदेश

Creative design by **Yeh Ek Soch Foundation**